सूचना का अधि...

58 प्र-2/08-2716-8

8 स. 3/07/08

संख्याः भा०स०19/43–2–2008-15/07

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन,

S1- 25

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ ; दिनांक 14 जुलाई 2008

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारियों (Appellate Authority) हेतु मार्गदर्शिका।

महोदय,

जैसाकि आप अवगत हैं कि लोक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन सूचनाओं तक नागरिकों की पहुँच सुनिश्चित करने तथा लोक प्राधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने व सूचना के प्रवाह को व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार विषयक अधिनियम, 2005, दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से पूरे देश में प्रभावी है।

2– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत किसी भी लोक प्राधिकरण (Public Authority) के जन सूचना अधिकारी का यह दायित्व है कि वह सूचना मांगने वाले व्यक्ति को विनिर्दिष्ट समय के भीतर सही और पूर्ण सूचना प्रदान करे। यह सम्भव है कि जन सूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य न करे अथवा आवेदनकर्ता उसके निर्णय से संतुष्ट न हो। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये अधिनियम में दो अपीलों का प्रावधान किया गया है। प्रथम अपील लोक प्राधिकरण (Public Authority) के ही एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष और दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष होती है। प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपीलों का निपटान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये करे। भारत सरकार द्वारा अपीलीय अधिकारियों हेतु एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसी आधार पर राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शिका की एक प्रति

आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप कृपया अपने विभाग एवं अपने विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में आने वाले निदेशालय/ अधीनस्थ कार्यालय/ सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों / संस्थाओं/ बोर्ड / आयोग आदि, के लोक प्राधिकरणों में नामित अपीलीय अधिकारियों को मार्ग दर्शिका की एक--एक प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि यह मार्गदर्शिका उन्हें अपने कार्यो को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने में सहायक सिद्ध हो सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

प्रथम अपीलीय अधिकारी के लिए मार्गदर्शिका

1. सचना का अधिकार अधिनियम, 2005 क अतगत किसी भी लाक पाधिकरण (Public Authority) क जन सचना अधिकारी का यह दायित्व ह कि वह सचना मागन वाल व्यक्ति का विनिदिश्ट समय क भीतर सही आर पण सचना पदान कर। यह सम्भव ह कि जन सचना अधिकारी अधिनियम क पावधाना क अनसार काय न कर अथवा आवदनकता उसक निणय स सतश्ट न हा। एसी स्थिति स निपटन क लिय अधिनियम म दा अपीला का पावधान किया गया ह। पथम अपील लाक पाधिकरण (Public Authority) क ही एक वरिश्ठ अधिकारी क समक्ष आर दसरी अपील राज्य सचना आयाग क समक्ष किय जान का ह। अपन कतव्य का पभावी रूप स निश्पादन करन क लिए अपीलीय अधिकारी का चाहिए कि वह अधिनियम का ध्यानपवक अध्ययन कर आर उसक पावधाना का भली–भांति समझ । इस मागद िका म अधिनियम क कछ एस महत्वपण पहलआ की व्याख्या की गइ ह, जा पथम अपीलीय अधिकारी का वि ाश रूप स मालम हानी चाहिए।

सूचना क्या है

2. किसी भी स्वरूप म काइ भी सामगी ''सचना'' ह। इसम किसी भी इलक्टांनिक रूप म धारित अभिलख, दस्तावज, ज्ञापन, इ–मल, मत, सलाह, पस विज्ञप्ति, परिपत्र, आद ा, लागबक, सविदा, रिपाट, कागजपत्र, नमन, माडल, आकडा सम्बन्धी सामगी भामिल ह। इसम किसी निजी निकाय स सम्बन्धित एसी सचना भी भामिल ह जिस लाक पाधिकरण तत्समय लाग किसी कानन क अन्तगत पाप्त कर सकता ह।

अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार

3. नागरिक का किसी लाक पाधिकरण स एसी सचना मागन का अधिकार ह, जा उस लाक पाधिकरण क पास उपलब्ध ह या उसक नियत्रण म उपलब्ध ह। इस अधिकार म लाक पाधिकरण क पास या नियत्रण म उपलब्ध कति, दस्तावजा तथा रिकाडा का निरीक्षण, दस्तावजा या रिकाडा क नाट, उद्धरण या पमाणित पतियां पाप्त करना, सामगी क पमाणित नमन लना भामिल ह।

4. अधिनियम नागरिका का, ससद–सदस्या आर राज्य विधान मण्डल क सदस्या क बराबर सचना का अधिकार पदान करता ह। अधिनियम क अनसार एसी सचना,

जिसे संसद अथवा राज्य विधानमण्डल को देने से इन्कार नही किया जा सकता, उसे किसी व्यक्ति को देने से भी इन्कार नही किया जा सकता ।

5. नागरिको को डिस्केट्स, फलापी, टेप, वीडियो कैसेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप मे अथवा पिंट आउट के रूप मे सूचना पाप्त करने का अधिकार है, ब ार्ते कि मागी गई सूचना कम्प्यूटर मे या अन्य किसी युक्ति मे पहले से सुरक्षित है, जिससे उसे डिस्केट आदि मे स्थानातरित किया जा सके।

6. आवेदक को सूचना सामान्यतः उसी रूप मे पदान की जानी चाहिए, जिसमे वह मागता है। तथापि, यदि किसी वि ाष्ट स्वरूप मे मॉगी गई सूचना की आपूर्ति से लोक पाधिकरण के संसाधनो का अनपेक्षित ढंग से विचलन होता है या इससे रिकॉर्डो के परिरक्षण मे कोई हानि की सम्भवना होती है, तो उस रूप मे सूचना देने से मना किया जा सकता है।

7. अधिनियम के अन्तर्गत सूचना का अधिकार केवल भारत के नागरिको को पाप्त है । अधिनियम मे निगम, संघ, कम्पनी आदि को, जो वैध हस्तियो/व्यक्तियो की परिभाशा के अन्तर्गत तो आते है, किन्तु नागरिक की परिभाशा मे नही आते, को सूचना देने का कोई पावधान नही है। फिर भी, यदि किसी निगम, संघ, कम्पनी, गैर सरकारी संगठन आदि के किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी द्वारा पार्थना पत्र दिया जाता है, जो भारत का नागरिक है, तो उसे सूचना दी जायेगी, ब ार्ते वह अपना नाम इंगित करे। ऐसे मामले मे, यह पकल्पित होगा कि एक नागरिक द्वारा निगम आदि के पते पर सूचना मॉगी गई है।

8. अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना पदान करना अपेक्षित है, जो लोक पाधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियत्रण मे है। जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना; या सूचना की व्याख्या करना; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना; या काल्पनिक प नो का उत्तर देना अपेक्षित नही है।

प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचना

9. इस अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) और धारा 9 मे सूचना की ऐसी श्रेणियो का विवरण दिया गया है, जिन्हे पकटीकरण से छूट पाप्त है। फिर भी, धारा 8 की उप– धारा (2) मे यह पावधान है कि उप–धारा (1) के अन्तर्गत छूट पाप्त अथवा भासकीय गोपनीय अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत छूट पाप्त सूचना का पकटीकरण किया जा सकता है यदि पकटीकरण से, सरक्षित हित को होने वाले नुकसान की अपेक्षा वृहत्तर लोक हित सधता हो। इसके अलावा धारा 8 की उप–धारा

(3) म यह पावधान ह कि उप–धारा (1) क खण्ड (क), (ग) आर (झ) म उपबन्धित सचना क सिवाय उस उप–धारा क अन्तगत पकटीकरण स छट पाप्त सचना, सम्बद्ध घटना क घटित हान की तारीख क 20 वश बाद पकटीकरण स मक्त नही रहगी।

10. स्मरणीय ह कि अधिनियम की धारा 8 (3) क अनसार लाक पाधिकरिया स यह अपक्षा नही की गइ ह कि व अभिलखा का अनन्त काल तक सरक्षित रख । लाक पाधिकरण का पाधिकरण म लाग अभिलख धारण अनसची क अनसार ही अभिलखा का सरक्षित रखना चाहिए। किसी फाइल म सजित जानकारी फाइल/अभिलख क नश्ट हा जान क बाद भी कायालय ज्ञापन अथवा पत्र अथवा किसी भी अन्य रूप म माजद रह सकती ह। अधिनियम क अनसार यह अपक्षित ह कि धारा 8 की उप–धारा (1) क अन्तगत–पकटन स छट पाप्त हान क बावजद भी, 20 वश बाद इस पकार उपलब्ध जानकारी उपलब्ध करा दी जाए। अथ यह ह कि एसी जानकारी जिस सामान्य रूप स अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) क अन्तगत पकटन स छट पाप्त ह, जानकारी स सम्बन्धित घटना क घटित हान क 20 वश बाद एसी छट स मक्त हा जायगी तथापि, निम्नलिखित पकार की जानकारी क लिए पकटन स छट जारी रहगी आर 20 वश बीत जान क बाद भी एसी जानकारी का किसी नागरिक का दना बाध्यकारी नही हागा–

(i) एसी जानकारी जिसक पकटन स भारत की सपभता आर अखण्डता, राश्ट्र की सरक्षा, सामरिक, वज्ञानिक आर आथिक हित, विद ा क साथ सम्बन्ध पतिकल रूप स पभावित हाती हा अथवा किसी अपराध का करन का उद्दीपन हाता हा;

(ii) एसी जानकारी जिसक पकटन स विधान मण्डल क वि ाशधिकार की अवहलना हाती हा; अथवा

(iii) अधिनियम की धारा 8 की उप–धारा (1) क खण्ड (झ) क पावधान म दी गइ भता क अधीन मत्रिपरिशद, सचिवा आर अन्य अधिकारिया क विचार–विम ा सहित मत्रिमण्डलीय दस्तावज।

सूचना का अधिकार का अध्यारोही प्रभाव होना

11. सचना का अधिकार अधिनियम क उपबन्ध , भासकीय गापनीयता अधिनियम, 1923 आर तत्समय पभावी किसी अन्य कानन म एस पावधान, जा सचना का अधिकार अधिनियम क पावधाना स असगत ह, की स्थिति म सचना का अधिकार अधिनियम क पावधान पभावी हाग।

सूचना मॉगने का षुल्क

12. आवदनकता स अपक्षित ह कि वह अपन आवदन पत्र क साथ आवदन भ्ल्क 10/– (दस रूपए) डिमांड ड्राफ्ट अथवा बकस चक अथवा भारतीय पास्टल आंडर क रूप म लाक पाधिकरण क नाम स भज। सचना की आपति क लिए उत्तर पद । सचना का अधिकार (फीस आर लागत विनियमन) नियमावली, 2006 क द्वारा भ्ल्क का पावधान भी किया गया ह, जा निम्नानसार ह :–

(क) सजित अथवा फाटाकापी किए हए पत्यक पृष्ठ क लिए (ए 4 अथवा ए 3 आकार कागज क लिए) दा रूपए (2/– रूपए) ;
(ख) बड आकार क कागज म कापी का वास्तविक पभार अथवा लागत कीमत;
(ग) नमना या मांडला क लिए वास्तविक लागत अथवा कीमत;
(घ) अभिलखा क निरीक्षण क लिए, पहल घण्ट क लिए दस रूपए का भ्ल्क आर उसक बाद पन्दह मिनट (या उसक खण्ड) क लिए पांच रूपए का भ्ल्क ;
(ड.) डिस्कट अथवा फलापी म सचना पदान करन क लिए पत्यक डिस्कट अथवा फलापी पचास रूपए (50/–रूपए); आर
(च) मदित रूप म दी गइ सचना क लिए, एस पका ान क लिए नियत मल्य पर अथवा पका ान क उद्धरणा की फाटाकापी क लिए दा रूपए पति पृष्ठ।

13 गरीबी रखा क नीच की श्रणी क अतगत आन वाल आवदनकताआ का किसी पकार का भ्ल्क दन की आव यकता नही ह। तथापि, उस गरीबी रखा क नीच क स्तर का हान क दाव का पमाणपत्र पस्तत करना हागा। आवदन क साथ निधारित 10/– रूपए क भ्ल्क अथवा आवदनकता क गरीबी रखा क नीच वाला हान का पमाण, जसा भी मामला हा, नही हान पर आवदन का अधिनियम क अतगत वध नही माना जाएगा आर इसीलिए, एस आवदक का अधिनियम क अतगत सचना पाप्त करन का हक नही हागा।

14. यदि जन सचना अधिकारी यह निणय लता ह कि सचना आवदन भ्ल्क क अतिरिक्त आर भ्ल्क क भगतान पर सचना दी जायगी ता जन सचना अधिकारी स अपक्षित ह कि वह आवदक का इस सम्बन्ध म अन्य बाता क साथ–साथ निम्नलिखित सचना भी द:–

(i) अन्य भ्ल्क क ब्यार, जिसका भगतान अपक्षित ह;

(ii) मागी गइ भ्ल्क की रा ि क परिकलन का ब्यारा।

आवेदन की विषय-वस्तु और प्रपत्र

15 आवेदक को सूचना मांगने के लिए उससे सम्पर्क करने के लिए आव यक विवरण के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्तिगत ब्योरा देना आव यक नही है। साथ ही, अधिनियम अथवा पवृत्त नियमों में सूचना पाप्त करने हेतु आवेदन का कोई निर्धारित पपत्र नही है। इसीलिए, आवेदक से सूचना का निवेदन करने का कारण बताने अथवा अपने रोजगार इत्यादि का ब्योरा देने अथवा किसी वि िश पपत्र पर आवेदन पस्तुत करने के लिए नही कहा जाना चाहिए।

आवेदन का हस्तांतरण

16. यदि आवेदन के साथ निर्धारित ुल्क अथवा गरीबी रेखा के नीचे का पमाणपत्र संलग्न है, तो जन सूच ना अधिकारी को देखना चाहिए कि क्या आवेदन की विशय वस्तु अथवा उसका कोई खण्ड किसी अन्य लोक पाधिकरण से संबधित तो नही है। यदि आवेदन की विशय–वस्तु किसी अन्य लोक पाधिकरण से संबधित हो, तो उक्त आवेदन को सम्बद्ध लोक पाधिकरण को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। यदि आवेदन आं िक रूप से ही अन्य लोक पाधिकरण से संबधित है, तो उस लोक पाधिकरण से संबधित खण्ड को स्पश्ट रूप से विनिर्दिश्ट करते हुए आवेदन की एक पति उस लोक पाधिकरण को भेज देनी चाहिए। आवेदन का हस्तांतरण करते समय अथवा उसकी पति भेजते समय संबधित लोक पाधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए कि आवेदन ुल्क पाप्त कर लिया गया है। आवेदक को उसके आवेदन के स्थानांतरण के बारे में तथा उस लोक पाधिकरण, जिसको उनका आवेदन अथवा उसकी एक पति भेजी गई है, के ब्योरो के बारे में भी सूचित कर देना चाहिए।

17. आवेदन अथवा उसके भाग का हस्तांतरण जितना जल्दी संभव हो, कर देना चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि हस्तांतरण करने में आवेदन की पति की तारीख से पांच दिन से अधिक का समय न लगे। यदि कोई जन सूचना अधिकारी किसी आवेदन की पाप्ति के पांच दिन के बाद उस आवेदन को स्थानांतरित करता है तो उस आवेदन के निपटान में होने वाले विलम्ब में से इतने समय के लिए वह जिम्मेदार होगा जो उसने स्थानांतरण में 5 दिन से अधिक लगाया।

18. उस लाक पाधिकरण का जन सचना अधिकारी जिस आवदन हस्तातरित किया गया ह, इस आधार पर आवदन क हस्तातरण का नामजर नही कर सकता कि उस आवदन 5 दिन क भीतर हस्तातरित नही किया गया।

19. काइ लाक पाधिकरण अपन लिए जितन आव यक समझ उतन जन सचना अधिकारी पदनामित कर सकता ह। यह सभव ह कि एस लाक पाधिकरण जिसम एक स अधिक जन सचना अधिकारी हा, काइ आवदन सबधित जन सचना अधिकारी क बजाय किसी अन्य जन सचना अधिकारी का पाप्त हा। एस मामल म आवदन पाप्त करन वाल जन सचना अधिकारी का इस सबधित जन सचना अधिकारी का यथा ीघ, अधिमानत:, उसी दिन हस्तातरित कर दना चाहिए। हस्तातरण क लिए पाच दिन की अवधि कवल तभी लाग हाती ह जब आवदन एक लाक पाधिकरण स दसर लाक पाधिकरण का हस्तातरित किया जाता ह ना कि तब जब हस्तातरण एक ही पाधिकरण क एक जन सचना अधिकारी स दसर जन सचना अधिकारी का हा।

सूचना की आपूर्ति

20. सचना दन वाल जनसचना अधिकारी का दखना चाहिए कि मागी गइ सचना अथवा उसका काइ भाग अधिनियम की धारा–8 अथवा 9 क अतगत पकटीकण स छट स आच्छादित ता नही ह। पकटीकण स छट क अतगत आन वाल भाग क सबध म किए गए अनराध का नामजर कर दिया जाए तथा भश सचना तत्काल अथवा अतिरिक्त भल्क लन क बाद, जसा भी मामला हा, उपलब्ध करवा दी जानी चाहिए।

पृथक्करण द्वारा आंषिक सूचना की आपूर्ति

21 यदि किसी एसी सचना क लिए आवदन पाप्त हाता ह जिसक कछ भाग का ता पकटीकरण स छट मिली हइ ह लकिन उसका कछ भाग एसा ह जा छट क अन्तगत नही आता ह आर जिस इस पकार पथक किया जा सक कि पथक किय हय भाग म छट पाप्त जानकारी बच पाय, ता जानकारी क एस पथक किय हए भाग/ रिकाड का आवदक का उपलब्ध कराया जा सकता ह। जहां रिकाड क किसी भाग क पकटीकरण का इस तरीक स अनमति दी जाय ता जन सचना अधिकारी का आवदक का यह सचित करना चाहिय कि मांगी गयी सचना का पकटीकरण स छट पाप्त ह तथा रिकाड क मात्र एस भाग का पथक्करण क बाद उपलब्ध कराया जा रहा ह जिसका पकटीकरण स छट पाप्त नही ह । एसा करत समय, उस निणय क कारण बतान चाहिय । साथ ही उस सामगी, जिस पर निष्कश आधारित था, का सदभ दत हए सामगीगत प ना पर निष्कश भी बताना चाहिय । इन मामला म जन सचना अधिकारी का सचना की आपति स पहल समचित पाधिकारी का अनमादन लना चाहिय

तथा निणय लन वाल अधिकारी क नाम तथा पदनाम की सचना भी आवदक का दनी चाहय।

सूचना की आपूर्ति के लिए समय अवधि

22 जन सचना अधिकारी का सचना की आपति अनराध की पाप्ति क तीस दिना क भीतर कर दनी चाहिय । यदि मांगी गइ सचना का सबध किसी व्यक्ति क जीवन अथवा स्वातंत्र्य स हा ता सचना आवदन की पाप्ति क अडतालीस घट क भीतर उपलब्ध करना अपक्षित ह।

23. पत्यक लाक पाधिकरण स अपक्षित ह कि वह पत्यक उप पभागीय स्तर अथवा अन्य उप जिला स्तर पर सहायक जन सचना अधिकारी नामित कर जा अधिनियम क अन्तगत आवदना अथवा अपीला का पाप्त कर सक आर उन्ह जन सचना अधिकारी अथवा अपीलीय पाधिकारी अथवा राज्य सचना आयाग का अगसारित कर सक। यदि सचना क लिए काइ अनराध सहायक जन सचना अधिकारिया क माध्यम स पाप्त हाता ह ता सहायक जन सचना अधिकारी द्वारा आवदन पाप्त हान क 35 दिन क भीतर तथा यदि मांगी गइ सचना व्यक्ति क जीवन तथा स्वातंत्र्य स संबधित हा, ता सचना अनराध पाप्ति क 48 घटा जमा 5 दिन क भीतर उपलब्ध करा दी जानी चाहिय।

24. उपयक्त पैरा 21 म संदर्भित एक लाक पाधिकरण स दसर लाक पाधिकरण का स्थानांतरित किय गय सामान्य आवदन का उत्तर सम्बंधित लाक पाधिकरण का उसक द्वारा आवदन पाप्ति क 30 दिन क भीतर द दना चाहिय । यदि मांगी गइ सचना व्यक्ति क जीवन तथ स्वातंत्र्य स संबधित हा ता 48 घट क भीतर सचना उपलब्ध करवा दी जानी चाहिय ।

25. यदि आवदक स सचना पाप्त करन हत काइ भल्क दन का कहा जाता ह ता भल्क क भगतान क बार म सचना क पशण तथा आवदक द्वारा भल्क का भगतान करन क बीच की समय अवधि का उत्तर दन की अवधि क उदद य स नही गिना जायगा । निम्न तालिका म विभिन्न परिस्थितिया म आवदना क निपटान क लिए निधारित समय सीमा का द ााया गया ह :–

क्र0स0	परिस्थिति	आवदन का निपटान करन हत समय–सीमा
1.	सामान्य स्थिति म सचना की आपति	30 दिन
2.	यदि सचना व्यक्ति क जीवन अथवा स्वातंत्र्य स संबधित हा ता इसकी आपति	48 घंट
3.	यदि आवदन सहायक जन सचना अधिकारी क माध्यम स पाप्त हाता ह ता सचना की आपति	क0स0 1 तथा 2 पर द ाायी गइ समय अवधि म 5 दिन आर जाड दिए जाएंग
4.	यदि आवदन/अनराध अन्य लाक पाधिकरण स स्थानांतरित हान क बाद पाप्त हात ह ता सचना की आपति (क) सामान्य स्थिति म (ख) यदि सचना व्यक्ति क जीवन तथा स्वतंत्रता स संबधित हा	 (क) सबधित लाक पाधिकरण द्वारा आवदन की पाप्ति क 30 दिन क भीतर (ख) संबधित लाक पाधिकरण द्वारा आवदन की पाप्ति क 48 घंटा क भीतर
5.	यदि सचना पर व्यक्ति स संबधित ह तथा तीसरी पाटी न इस गापनीय माना हा ता सचना की आपति	इन मागनिद ाा क परा 37 स 41 म दी गइ पकिया का पालन करत हुए उपलब्ध करवाइ जाए
6.	यदि सचना की आपति जिसम आवदक का भल्क का भगतान करन का कहा गया हा	आवदक का भल्क क बार म सचित करन तथा आवदक द्वारा भल्क क भगतान क बीच की अवधि का उत्तर दन की दृष्टि स नही गिना जाएगा।

26. यदि जन सचना अधिकारी जानकारी क लिए अनराध पर निधारित समय म निणय दन म असफल रहता ह ता यह माना जायगा कि जन सचना अधिकारी न अनराध का अस्वीकार कर दिया ह । यदि काइ लाक पाधिकरण सचना दन की समय सीमा का पालन नही कर पाता ह ता संबधित आवदक का सचना बिना भल्क महया करवायी जानी हागी ।

प्रथम अपील

27. अधिनियम द्वारा निर्धारित समयावधि म या ता आवदक का उसक द्वारा मागी गइ सचना द दी जानी चाहिए या उसका आवदन अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। यदि आवदक स अतिरिक्त भल्क लिया जाना अपक्षित ह ता उस इस सम्बन्ध म सचना भजन हत निर्धारित समय सीमा क भीतर ही सचित कर दिया जाना चाहिए। यदि आवदक का विनिदिष्ट समय क भीतर सचना अथवा अनराध क अस्वीकार हान का निणय अथवा अतिरिक्त भल्क क भगतान करन की सचना पाप्त नही हाती ह ता वह पथम अपीलीय पाधिकारी क समक्ष अपील कर सकता ह । यदि अभ्यर्थी जन सचना अधिकारी क सचना दन क सम्बन्ध म अथवा भल्क की मात्रा क सम्बन्ध म लिए गय निणय स व्यथित हा ता भी वह अपील कर सकता ह।

पर व्यक्ति (Third Party) की सूचना के संदर्भ में अपील

28. इस अधिनियम क सदभ म पर व्यक्ति का तात्पय आवदक स भिन्न अन्य व्यक्ति स ह । एस लाक पाधिकरण भी पर व्यक्ति की परिभाश म भामिल हाग जिसस सचना नही मांगी गइ ह ।

29. स्मरणीय ह कि वाणिज्यिक गप्त बाता, व्यवसायिक रहस्या आर बाद्धिक सपदा सहित एसी सचना, जिसक पकटन स किसी पर व्यक्ति की पतियागी स्थिति का क्षति पहंचती हा, का पकटन स छट पाप्त ह । धारा–8(1)(घ) क अनसार यह अपक्षित ह कि एसी सचना का पकट न किया जाय जब तक कि सक्षम पाधिकारी इस बात स आ वस्त न हा कि एसी सचना का पकटन वहत लाक हित म ह ।

30. यदि काइ आवदक एसी सचना मांगता ह जा किसी पर व्यक्ति स सबध रखती ह अथवा उसक द्वारा उपलब्ध करवायी जाती ह आर पर व्यक्ति न एसी सचना का गापनीय माना ह , ता जन सचना अधिकारी स अपक्षित ह कि वह सचना का पकट करन अथवा न करन पर विचार कर । एस मामला म मागद ी सिद्धान्त यह हाना चाहिय कि यदि पकटन स पर व्यक्ति का सभावित हानि की अपक्षा वहत्तर लाक हित सधता हा ता पकटन की स्वीकति द दी जाय ब ार्त कि सचना कानन द्वारा सरक्षित व्यवसायिक अथवा वाणिज्यिक रहस्या स सबधित न हा। तथापि , एसी सचना क पकटन स पहल नीच दी गयी पकिया का अपनाया जाय । यह ध्यान दन याग्य बात ह कि इस पकिया का कवल तभी अपनाया जाना ह जब पर व्यक्ति न सचना का गापनीय माना हा ।

PDF Creator - PDF4Free v2.0 http://www.pdf4free.com

31. यदि जन सचना अधिकारी सचना को पकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन पाप्ति की तारीख के 5 दिन के भीतर, तीसरी पार्टी को एक लिखित सचना देनी चाहिये कि सचना का अधिकार अधिनियम से तहत आवेदक द्वारा सचना मांगी गई है और कि वह सचना को पकट करना चाहता है। उसे पर व्यक्ति से निवेदन करना चाहिये कि पर व्यक्ति लिखित अथवा मौखिक रूप से सचना को पकट करने या न करने के सम्बन्ध मे अपना पक्ष रखे । पर व्यक्ति को पस्तावित पकटन के विरूद्ध पतिवेदन करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाना चाहिये ।

32. जन सचना अधिकारी को चाहिये कि वह पर व्यक्ति के निवेदन को ध्यान मे रखते हुए सचना के पकटन के संबंध मे निर्णय ले । ऐसा निर्णय सचना के अनुरोध की पाप्ति से 40 दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिये । निर्णय लिये जाने के प चात, जन सचना अधिकारी को लिखित मे पर व्यक्ति को अपने निर्णय की सचना देनी चाहये । पर व्यक्ति को सचना देते समय यह भी बताना चाहिये कि पर व्यक्ति को धारा 19 के अधीन अपील करने का हक है ।

33. पर व्यक्ति जन सचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय की पाप्ति के तीस दिन के अन्दर पथम अपीलीय पाधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि पर व्यक्ति पथम अपीलीय पाधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो, तो वह राज्य सचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है।

34. यदि पर व्यक्ति द्वारा जन सचना अधिकारी के सचना पकट करने के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील याजित की जाती है, तो ऐसी सचना को तब तक पकट नही किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए।

प्रथम अपील फाइल करने की समय-सीमा

35. पथम अपील निर्धारित अवधि के समाप्त होने अथवा जन सचना अधिकारी से संसचना पाप्त होने की तारीख से तीस दिनो के भीतर की जा सकती है। यदि पथम अपीलीय पाधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को पर्याप्त कारण से अपील करने से रोका गया था तो तीस दिनो के बाद भी अपील स्वीकार की जा सकती है।

अपील का निस्तारण

36. सचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील पर निर्णय करना एक अर्द्ध न्यायिक कार्य है। इसलिए, अपीलीय पाधिकारी के लिए यह सुनि चित करना आव यक है कि न्याय केवल हो ही नही, बल्कि वह होते हुए दिखाई भी दे। इसके लिए अपील पाधिकारी द्वारा पारित आदे । स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए जिसमे निर्णय के पक्ष मे समुचित तर्क दिये गये हो ।

अपील के निस्तारण के लिए समय-सीमा

37. अपील का निस्तारण अपील पाप्त हान की तारीख स तीस दिना क भीतर कर दिया जाना चाहिए । अपवाद क मामला म, अपीलीय पाधिकारी इसक निस्तारण क लिए 45 दिन का समय ल सकता ह। एस मामला म जिनम अपील क निस्तारण म 30 दिन स अधिक समय लग, अपीलीय पाधिकारी का चाहिए कि वह विलम्ब क कारणा का लिखित रूप म दज कर ।

38. यदि काइ अपीलीय पाधिकारी इस निष्कश पर पहुंचता ह कि अपीलकता का जन सचना अधिकारी द्वारा भजी गयी जानकारी क अतिरिक्त आर जानकारी दी जानी अपक्षित ह ता वह या ता (i) जन सचना अधिकारी का एसी सचना दन क लिए निद । द सकता ह या (ii) अपीलकता का वह स्वय जानकारी भज सकता ह। पहली स्थिति म अपीलीय पाधिकारी का यह सनि चित करना चाहिए कि उसक द्वारा आद ात जानकारी अपीलकता का भीघ भजी जाय। हालाकि यह बहतर हागा कि अपीलीय पाधिकारी कायवाही का दसरा रास्ता अपनाय आर वह अपन द्वारा पारित आद । क साथ ही जानकारी भज द।

39. यदि जन सचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आद । का कायान्वित नही करता ह आर अपीलीय पाधिकारी यह महसस करता ह कि उसक आद । का कायान्वित करवान क लिए उच्चतर पाधिकारी का हस्तक्षप आव यक ह ता उस इस मामल का लाक पाधिकरण क उस अधिकारी क ध्यान म लाना चाहिए जा जन सचना अधिकारी क विरूद्ध कायवाही करन म सक्षम हा । एस सक्षम अधिकारी का चाहिए कि व यथाचित कायवाही कर ताकि सचना का अधिकार अधिनियम क पावधाना का कायान्वित किया जा सक ।

****